

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर.

क्रमांक :- निसआआ/राआम/2012/मु-अ-394 दिनांक :- 10-9-2012

कार्यालय आदेश

जनहित याचिका क्रमांक 9497/2007 में, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रियान्वयन में, आवासन मण्डल की ओर से की जा रही कार्यवाही से सम्बन्धित प्रगति की समीक्षा हेतु प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11:30 बजे मुख्यालय में बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहेंगे :-

- i. मुख्य अभियन्ता.
- ii. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/तृतीय.
- iii. सचिव.
- iv. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक.
- v. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक.
- vi. उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम/तृतीय.

सम्बन्धित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त समीक्षा बैठक में अद्यतन सूचना (Latest reports) के साथ उपस्थित हों।

ह0/-
(टी. रविकान्त)
आवासन आयुक्त.

प्रतिलिपी सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-माननीय मन्त्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, रा0आ0मं0, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर।
8. सचिव/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0मं0, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, वृत्त प्रथम/द्वितीय, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


आवासन आयुक्त.